-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 22.10.2025 को गोली मारकर व्यक्ति की हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को थाना मटौंध पुलिस द्वारा सूचना के 24 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्रों का संग्रहण, निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 23.10.2025 की रात्रि को थाना मटौंध पुलिस द्वारा मामूली विवाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 22.10.2025 को थाना मटौंध क्षेत्र के ग्राम त्रिवेणी में मामूली विवाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र की तहरीर पर थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों को गठन किया गया था। आज दिनांक 23.10.2025 को सूचना के 24 घण्टे के भीतर पुलिस द्वारा बाईपास से त्रिवोणी जाने वाले मार्ग से मुख्य आरोपी मनीष व अन्य दो सहयोगी प्रदीप तथा गंगा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस, दो अदद मोबाइल सहित 400 रूपए नगद बरामद किए गए।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
- 01 अदद् जिन्दा कारतूस
- 02 अदद मोबाइल
- 400 रुपए नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनीष पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम त्रिवेणी थाना मटौंध जनपद बांदा।
2. गंगा पुत्र कमलेश निवासी ग्राम त्रिवेणी थाना मटौंध जनपद बांदा।
3. प्रदीप पुत्र राम मनोहर निवासी ग्राम त्रिवेणी थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 202/25 धारा 352/103/(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष मटौन्ध श्री संदीप कुमार
2. उ0नि0 श्री दारा सिंह
3. कां0 खेमराज
4. कां0 अजय
5. कां0 प्रमोद कुमार